

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3( )आ0कृ0/लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/2018-19/

दिनांक :

सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार),  
किशनगढ़बास/छतरगढ़/बूंदी/अजमेर/गिर्वा, उदयपुर/  
सोजत/सिरोही/बाली/सांगानेर/ब्यावर/अनूपगढ़/  
सीकर/बाड़मेर/जोधपुर/झोटवाड़ा/बांसवाड़ा/पाली/  
शाहपुरा/देवगढ़/राजगढ़/बहरोड़/बीकानेर/धौलपुर/  
जैसलमेर/हिण्डौन सिटी/श्रीकरणपुर/प्रतापगढ़/  
गुलाबपुरा/झुन्झुनू/हनुमानगढ़/दूनी/गंगानगर/  
नाथद्वारा/चित्तौड़गढ़/बड़गाँव/श्रीमाधोपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट शीर्ष 2401-00-197-04-01  
में आवंटित बजट का विभिन्न बजट मदों में उपयोग नहीं  
किये जाने बाबत।

प्रसंग : विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक 778-845 दिनांक 19.04.  
2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट शीर्ष  
2401-00-197-04-01-प्रतिबद्ध में विभिन्न बजट मदों, यथा यात्रा व्यय,  
चिकित्सा व्यय एवं कार्यालय व्यय में प्रासांगिक कार्यालय आदेश  
क्रमांक 778-845 दिनांक 19.04.2018 द्वारा बजट आवंटन किया गया था।


अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त बजट शीर्ष के बजट उपयोग की समीक्षा  
करने पर पाया कि आपके कार्यालय द्वारा आदिनांक (दिनांक 07.09.2018 ) तक  
आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया है।

अतः आवंटित बजट का आगामी 07 दिवस में उपयोग किया जाना  
सुनिश्चित करावे, अन्यथा उक्त बजट मदों में आपके कार्यालय को बजट की  
आवश्यकता नहीं मानते हुए उपलब्ध बजट को प्रत्याहारित कर लिया जावेगा एवं  
जिन कार्यालयों द्वारा बजट की मांग की जा रही है, उन कार्यालयों को बजट  
आवंटन कर दिया जावेगा।

ह.0.  
(ऋतु गुप्ता)  
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : प.3( )आ0कृ0/लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/2018-19/ 4347-83 दिनांक : 11/9/18

प्रतिलिपि : ए.सी.पी. मुख्यालय जयपुर को कृषि विभाग की वेब साइट पर  
अपलोड करने हेतु।

  
(ऋतु गुप्ता)  
वित्तीय सलाहकार